



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]
No. 27]

दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2011/माघ 22, 1932
DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2011/MAGHA 22, 1932

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 274
[N.C.T.D. No. 274

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

सं. फा. 14(22)/एल.ए. 2008/डब्ल्यू ए डब्ल्यू/17.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010

(2011 का दिल्ली अधिनियम संख्या 01)

(29 नवम्बर, 2010 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिए आगे संशोधन हेतु अधिनियम ।

(17 जनवरी, 2011)

भारत गणराज्य के इक्सटर्न वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षित नाम विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षित नाम न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।

(3) यह उस तारीख को लागू होगा जो दिल्ली के उपराज्यपाल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. नयी धारा 16क का सन्निवेश.—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ऐं इसके प्रवर्तन में धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्निवेश किया जाएगा, अर्थात् :—

“16क सुनवाई से पूर्व निपटारे पर शुल्क की वापसी.— जब-जब पक्षकारों के समझौते से —

(1) कोई वाद दावे के गुण-दोष पर कोई सांक्ष्य अभिलेखबद्ध किए जाने से पूर्व न्यायालय से बाहर निपटान के रूप में खाजिज होता है; या

(2) कोई वाद दावे के गुण-दोष पर कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध किए जाने से पूर्व समझौते के फलस्वरूप समझौता डिग्री द्वारा समाप्त होता है; या

(3) कोई अपील ऐसी अपील की सुनवाई शुरू होने से पूर्व निपटान की जाती है;

वाद या अपील में दावे या दावों के विषय में भुगतान किए गए समस्त शुल्कों की आधी राशि क्रमशः उन पक्षों को लौटाने के लिए न्यायालय आदेश करेगा जिनके द्वारा उनका भुगतान किया गया है।

स्पष्टीकरण।—अभिव्यक्ति “दावे के गुण-दोष” ऐसे मामलों में संबंधित हैं जो बाद में सुनिश्चित करने के लिए सामने आते हैं, तथा जो दावे की रूपरेखा संबंधी मामलों, पक्षकारों का कुसंयोजन तथा कार्यवाही के कारण, बाद पर कार्यवाही करने या विचारण करने के क्षेत्राधिकार या देय शुल्क के विषय में न हो परन्तु इसमें पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) का तर्क, अवधि (लिमिटेशन) तथा ऐसे मामले शामिल हैं। ”

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव, (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2011

No. F. 14(22)/LA-2008/WAW/17.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 17th January, 2011 and is hereby published for general information:—

“THE COURT-FEES (DELHI AMENDMENT) ACT, 2010 (DELHI ACT 01 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 29th November, 2010

[17th January, 2011]

An Act further to amend the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870) in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, in the Sixty-first year of the republic of India follows :—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Court-Fees (Delhi Amendment) Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Insertion of new section 16A.—In the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after section 16, the following section shall be inserted, namely :—

“16A Refund of fees on settlement before hearing.—whenever by agreement of parties—

(i) any suit is dismissed as settled out of Court before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or

(ii) any suit is compromised ending in a compromise decree before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or

(iii) any appeal is disposed of before the commencement of hearing of such appeal;

half the amount of all fees paid in respect of the claim or claims in the suit or appeal shall be ordered by the court to be refunded to the parties by whom the same have been respectively paid.

Explanation.—The expression “merits of the claim” refers to matters which arise for determination in the suit not being matters relating to the frame of the suit, misjoinder of parties and cause of action, the jurisdiction of the Court to entertain or try the suit or the fee payable, but includes matters arising on pleas of res judicata, limitation and the like.”

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy. (Law, Justice & L. A.)

योजना विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

फा. सं. 5/1/09/योजना/जनगणना/अ.स.नि./767-775.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 2/1/60—जुडल-2 दिनांक 20 अप्रैल, 1960 के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा -4 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 एफ. 5/1/09/यो०/जनगणना/ ३०स०नि०/२५७५-८० दिनांक 15.3.2010 तथा इसके कम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न अनुसूची के पार्ट-1 में सहर्ष संशोधन करते हैं तथा इसके कम में आगे उपराज्यपाल अनुसूची के पार्ट-2 में दर्शाये गये अधिकारियों को प्रत्येक के समक्ष कालम-5 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जनगणना 2011 की प्रक्रिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित करने या सहायता देने या उसके संचालन के पर्यवेक्षण के लिए सहर्ष अतिरिक्त चार्ज अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	प्राधिकारी	पदनाम	वार्ड/ चार्ज सं0	क्षेत्र	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6
पार्ट-1 (संशोधन)					
क	दिल्ली नगर निगम				
1.	प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, बुराड़ी, दिल्ली-110084	चार्ज अधिकारी	0007	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो०/जनगणना/डी.ई.एस./२५७५-८० दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	प्रथम चरण अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” के लिए
2.	प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय, बुराड़ी, दिल्ली-110084	चार्ज अधिकारी	0007	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो०/जनगणना	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या

				/डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	गणना के लिए
3.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, रौशनाआरा रोड, मल्कागंज, दिल्ली-110007	चार्ज अधिकारी	0009	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
4.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009	चार्ज अधिकारी	0012	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
5.	प्रधानाचार्य राजकीय (सह-शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपाल पार्क, दिल्ली-110033	चार्ज अधिकारी	0013	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
6.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, नं01 आदर्श नगर, दिल्ली-110033	चार्ज अधिकारी	0014	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए

7.	उप-प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय, बादली दिल्ली-110042	चार्ज अधिकारी	0017	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	प्रथम चरण अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” के लिए
8.	प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय, बादली, दिल्ली-110042	चार्ज अधिकारी	0017	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
9.	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, पूठ खुर्द, दिल्ली-110039	चार्ज अधिकारी	0027	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
10.	उप-प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, मुण्डका गाँव, दिल्ली-110039	चार्ज अधिकारी	0030	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
11.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, ब्लॉक 'ए' सुल्तानपुरी,	चार्ज अधिकारी	0039	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के

536 २८/११-२

	दिल्ली-110041			दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	लिए
12.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, ब्लॉक 'वाई' मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	चार्ज अधिकारी	0046	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् "मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर" एवम् जनगणना के लिए
13.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रशान्त विहार दिल्ली-110085	चार्ज अधिकारी	0051	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
14.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शालीमार गाँव दिल्ली-110088	चार्ज अधिकारी	0055	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
15.	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक-ए.पी. शालीमार बाग दिल्ली-110088	चार्ज अधिकारी	0056	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए

				गया है।	
16.	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय (सह-शिक्षा) बी-4, पश्चिम विहार दिल्ली-110063	चार्ज अधिकारी	0057	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
17.	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय (सह-शिक्षा) न्यू मुल्तान नगर, दिल्ली-110056	चार्ज अधिकारी	0058	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
18.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, रानी बाग दिल्ली-110034	चार्ज अधिकारी	0059	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
19.	उप प्रधानाचार्य राजकीय (सह-शिक्षा) विद्यालय, ब्लॉक 'सी' सरस्वती विहार, दिल्ली-110034	चार्ज अधिकारी	0060	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
20.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर	चार्ज अधिकारी	0062	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ.	द्वितीय चरण अर्थात् केवल

	माध्यमिक विद्यालय सं02 केशव पुरम्, दिल्ली-110035			5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	जनसंख्या गणना के लिए
21.	प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, आनन्दवास, दिल्ली-110034	चार्ज अधिकारी	0063	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
22.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय फेस-गा, अशोक विहार, दिल्ली-110052	चार्ज अधिकारी	0065	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
23.	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, अशोक विहार, दिल्ली-110052	चार्ज अधिकारी	0068	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
24.	प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007	चार्ज अधिकारी	0070	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए

				प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	
25.	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सं. 2 मॉडल टाउन, दिल्ली-110009	चार्ज अधिकारी	0071	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
26.	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय सर्वोदय विद्यालय, गोखले मार्ग दिल्ली-110006	चार्ज अधिकारी	0077	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
27	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय सं. 2 (हिन्दी माध्यम) जामा मस्जिद, दिल्ली-110006	चार्ज अधिकारी	0079	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	प्रथम चरण अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” के लिए
28.	प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय सं. 1 (उर्दु माध्यम) जामा मस्जिद, दिल्ली-110006	चार्ज अधिकारी	0079	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए

536 ४८/11-३

					प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	
29.	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू दिल्ली-110002	चार्ज अधिकारी	0081	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए	
30.	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय सं.1, लाल कुओं, दिल्ली-110006	चार्ज अधिकारी	0082	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए	
31.	उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय सं.1, राम नगर दिल्ली-1100055	चार्ज अधिकारी	0087	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए	
32	प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, रानी झांसी रोड, दिल्ली-1100055	चार्ज अधिकारी	0090	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के	

				दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	लिए
33	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय, उत्तम नगर, दिल्ली-1100059	चार्ज अधिकारी	0120	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
34	प्रधानाचार्य राजकीय (सह-शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सैकटर.5 आर0के0 पुरम, नई दिल्ली-110022	चार्ज अधिकारी	0166	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
35	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय सं0 3 सैकटर-5, डॉ० अम्बेडकर नगर, दिल्ली-1100062	चार्ज अधिकारी	0179	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए

36	उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, संगम विहार दिल्ली-110062	चार्ज अधिकारी	0185	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
37	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय सं 1, बद्रपुर, दिल्ली-110044	चार्ज अधिकारी	0202	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
38	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय, आनन्द विहार, दिल्ली-110092	चार्ज अधिकारी	0225	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
39	उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय ‘सी’ ब्लॉक, घोड़ली चौक के निकट कृष्णा नगर, चन्द्र नगर, दिल्ली-110051	चार्ज अधिकारी	0231	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं. एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या

					गया है।	रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
40	प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, सं 3, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली -110032	चार्ज अधिकारी	0238	जैसा दिल्ली असाधारण राजपत्र सं एफ. 5/1/09/यो./जनगणना /डी.ई.एस./2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित इसी चार्ज के चार्ज अधिकारी को निर्धारित किया गया है।	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए	
41	उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, पश्चिम ज्योति नगर, दिल्ली-110053	चार्ज अधिकारी	0258	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं 0 एफ 5/1/09/यो/जनगणना /डी0ई0एस0/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं 0003 का अंश	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए	
ख.	नई दिल्ली नगर निगम					
1	श्री बी0एस0 भटनागर, ए.ई. (रोड-5) टी.टी. पार्क सर्विस सेन्टर रोड-5, डिवीजन, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001	चार्ज अधिकारी	0003	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं 0 एफ 5/1/09/यो/जनगणना /डी0ई0एस0/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड का अंश	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के	

536 १५/11-४

					लिए
	पार्ट-2 (अतिरिक्त)				
क्र.	दिल्ली नगर निगम				
1	प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली	उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, खेड़ खुर्द	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0003	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0003 का अंश
2	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, नाथूपुरा दिल्ली	उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0006	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0006 का अंश
3	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, पूथ कलान दिल्ली-110086	सर्वोदय बाल विद्यालय, कलान	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0025	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0025 का अंश
4	राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, बवाना, दिल्ली	उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0028	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0028 का अंश
5	सर्वोदय कन्या विद्यालय,	अतिरिक्त	0122	चार्ज अधिकारी को नियत	द्वितीय चरण

	हस्तसाल, दिल्ली	चार्ज अधिकारी		किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0122 का अंश	अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
6	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीनदार पुर	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0134	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0134 का अंश	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
7	उप प्रधानाचार्य सर्वोदय बाल विद्यालय, ककरोला, दिल्ली-110078	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0135	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0135 का अंश	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए
8	प्रधानाचार्य राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-VI द्वारका, दिल्ली	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0136	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0136 का अंश	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए

9	प्रधानाचार्य राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0136	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0136 का अंश	प्रथम चरण अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” के लिए	
10	उप प्रधानाचार्य, राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0136	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0136 का अंश	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए	
11	उप प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली	उच्चतर बाल रजोकरी,	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0143	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0143 का अंश	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
12	उप प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, मोलर बन्द-3, नई दिल्ली	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0201	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं० एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं० 0201 का अंश	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए	

13	प्रधानाचार्य, आर.एस.बी.वी.सं01, शकर पुर, दिल्ली	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0223	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0223 का अंश	द्वितीय चरण अर्थात् केवल जनसंख्या गणना के लिए
ख.	नई दिल्ली नगर पालिका				
1	जी०के० राव, वास्तुविद् (आर्किटेक्ट) 11 वॉ तल, कमरा सं0 1113, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली-110001	अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	0009	चार्ज अधिकारी को नियत किए गए तथा असाधारण दिल्ली राजपत्र सं0 एफ 5/1/09/यो०/जनगणना /डी०ई०एस०/2575-80 दिनांक 15.3.2010 में प्रकाशित वार्ड सं0 0009 का अंश	दोनों चरणों अर्थात् “मकानसूची एवम् मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” एवम् जनगणना के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
एल. तोषोंग, प्रधान सचिव (योजना)

५३६ ४९/११-५

25

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2011

F. No. 5/1/09/plg/census/DES/767-775.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. 2/1/60-Judl.II dated 20th April, 1960 the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make amendments as indicated in Part-I of the Schedule in the appointment of the Charge Officers/Census Officers as published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010 and in its continuation the Lieutenant Governor is further pleased to appoint Additional Charge Officers as indicated in Part-II of the Schedule below for the areas specified against each in Column-5 to take or aid in or supervise the taking of the 2011 Census Operations in the National Capital Territory of Delhi:-

SL. NO . .	AUTHORITY	DESIG- NATION	WARD/ CHAR GE NO.	NAME OF THE WARD, AREA WITH BOUNDARIES	REMARKS
1	2	3	4	5	6
PART-I (AMENDMENT)					
A.	Delhi Municipal Corporation				
1	PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, BURARI, DELHI- 110084	Charge Officer	0007	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For Phase-I, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations'
2	PRINCIPAL, SARVODAYA KANYA VIDYALAYA, BURARI, DELHI- 110084	Charge Officer	0007	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'

3	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, ROSHANARA ROAD, MALKA GANJ, DELHI-110007	Charge Officer	0009	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
4	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, GURU TEG BAHADUR NAGAR, DELHI-110009	Charge Officer	0012	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For Phase-II, 'Population Enumeration'
5	PRINCIPAL, GOVT(CO-ED)SR.SEC. SCHOOL, GOPAL PARK, DELHI-110033	Charge Officer	0013	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
6	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL NO.1, ADARSH NAGAR, DELHI-110033	Charge Officer	0014	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
7	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA KANYA VIDYALAYA, BADLI, DELHI- 110042	Charge Officer	0017	- do -	For Phase-I, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations'
8	PRINCIPAL, SARVODAYA KANYA VIDYALAYA, BADLI, DELHI- 110042	Charge Officer	0017	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
9	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, POOTH KHURD, DELHI- 110039	Charge Officer	0027	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
10	VICE PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, MUNDKA VILLAGE, DELHI- 110039	Charge Officer	0030	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'

11	VICE PRINCIPAL, GOVT BOYS SEC. SCHOOL, BLOCK A, SULTANPUR, DELHI-110041	Charge Officer	0039	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
12	VICE PRINCIPAL, GOVT BOYS SEC. SCHOOL BLOCK-Y, MANGOLPUR, DELHI-110083	Charge Officer	0046	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
13	VICE PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, PARSHANT VIHAR, DELHI-110085	Charge Officer	0051	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For Phase-II, 'Population Enumeration'
14	VICE PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, SHALIMAR VILLAGE, DELHI-110088	Charge Officer	0055	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
15	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL BLOCK AP, SHALIMAR BAGH, DELHI-110088	Charge Officer	0056	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
16	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA VIDYALAYA(CO-ED) B-4, PASCHIM VIHAR, DELHI-110063	Charge Officer	0057	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
17	VICE-PRINCIPAL, SARVODAYA VIDYALAYA(CO-ED), NEW MULTAN NAGAR, DELHI-110056	Charge Officer	0058	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
18	PRINCIPAL, GOVT GIRLS SR. SEC. SCHOOL, RANI BAGH, DELHI-110034	Charge Officer	0059	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'

19	VICE PRINCIPAL, GOVT. CO-ED VIDYALAYA, BLOCK C, SARASWATI VIHAR, DELHI- 110034	Charge Officer	0060	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
20	PRINCIPAL, GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL NO.2, KESHAV PURAM, DELHI-110035	Charge Officer	0062	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
21	PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, ANANDWAS, DELHI- 110034	Charge Officer	0063	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
22	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC. SCHOOL PHASE-II, ASHOK VIHAR, DELHI- 110052	Charge Officer	0065	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
23	PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC. SCHOOL BLOCK-D, ASHOK VIHAR, DELHI-110052	Charge Officer	0068	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
24	PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, RANA PRATAP BAGH, DELHI-110007	Charge Officer	0070	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
25	PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC. SCHOOL NO.2, MODEL TOWN, DELHI-110009	Charge Officer	0071	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
26	VICE PRINCIPAL, GOVT. SARVODAYA VIDYALAYA, GOKHALE MARG, DELHI-110006	Charge Officer	0077	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population

536 89/11-6

					Enumeration'
27	VICE PRINCIPAL GOVT. BOYS SEC SCHOOL NO.2 (HINDI MEDIUM), JAMA MASJID, DELHI- 110006	Charge Officer	0079	- do -	For Phase-I, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations'
28	PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA NO.1, (URDU MEDIUM) JAMA MASJID, DELHI-110006	Charge Officer	0079	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
29	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, ROUSE AVENUE, DELHI- 110002	Charge Officer	0081	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575- 80 dated 15.03.2010	For Phase-II, 'Population Enumeration'
30	VICE PRINCIPAL, GOVT. GIRLS SEC. SCHOOL NO.1, LAL KUAN, DELHI-110006	Charge Officer	0082	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
31	VICE PRINCIPAL, GOVT. GIRLS SR.SEC SCHOOL NO.1, RAM NAGAR, DELHI- 110055	Charge Officer	0087	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
32	PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, RANI JHANSI ROAD, DELHI-110055	Charge Officer	0090	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'
33	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA KANYA VIDYALAYA,	Charge Officer	120	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing

	UTTAM NAGAR, DELHI-110059				& Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration,
34	PRINCIPAL, (CO-ED) GOVT. SR. SEC. SCHOOL, SECTOR- 5, R.K.PURAM, DELHI- 110022	Charge Officer	0166	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
35	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SEC. SCHOOL NO.3, SECTOR V, DR. AMBEDKAR NAGAR, DELHI-110062	Charge Officer	0179	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575- 80 dated 15.03.2010	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
36	PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR.SEC SCHOOL, SANGAM VIHAR., DELHI- 110062	Charge Officer	0185	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
37	PRINCIPAL, GOVT. GIRLS SR. SEC SCHOOL NO.1, BADARPUR, DELHI- 110044	Charge Officer	0202	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
38	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA VIDYALAYA, ANAND	Charge Officer	0225	- do -	For Phase-II, 'Population Enumeration'

	VIHAR, DELHI-110092				
39	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR.SEC.SCHOOL, C- BLOCK, KRISHNA NAGAR NEAR GHONDLI CHOWK, CHANDER NAGAR, DELHI-110051	Charge Officer	0231	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
40	PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC SCHOOL NO.3, BHOLA NATH NAGAR, SHAHADARA, DELHI-110032	Charge Officer	0238	- do -	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
41	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR.SEC.SCHOOL, WEST JYOTI NAGAR, DELHI-110053	Charge Officer	0258	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575- 80 dated 15.03.2010	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
B.	New Delhi Municipal Council				
1	SHRI B.S. BATNAGAR, AE(ROAD V), T.T.PARK SERVICE CENTER, ROAD-V DIVISION, BABA KHARAK SINGH MARG, NEW DELHI-110001	Charge Officer	0003	As assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'

PART-II (ADDITION)

A.	Delhi Municipal Corporation				
1	PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR.SEC.SCHOOL, KHERA KHURD, DELHI	Additional Charge Officer	0003	Part of the Ward No.0003 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575-80 dated 15.03.2010	For Phase-II, 'Population Enumeration'
2	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC SCHOOL, NATHUPURA, DELHI	Additional Charge Officer	0006	Part of the Ward No.0006 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
3	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, POOTH KALAN, DELHI-110086	Additional Charge Officer	0025	Part of the Ward No.0025 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
4	GOVT BOYS SR. SEC. SCHOOL, BAWANA, DELHI	Additional Charge Officer	0028	Part of the Ward No.0028 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
5	SARVODAYA KANYA VIDYALAYA, HASTSAL, DELHI	Additional Charge Officer	0122	Part of the Ward No.0122 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
6	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC. SCHOOL, DEENDAR PUR.	Additional Charge Officer	0134	Part of the Ward No.0134 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
7	VICE PRINCIPAL, SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAKROLA, DELHI-110078	Additional Charge Officer	0135	Part of the Ward No.0135 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'

536 89/11 - 7

8	PRINCIPAL, GOVT. CO-ED SR. SEC. SCHOOL, SECTOR VI, DWARKA, DELHI	Additional Charge Officer	0136	Part of the Ward No.0136 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
9	PRINCIPAL, GOVT. CO-ED SR. SEC. SCHOOL, POCHANPUR, DELHI	Additional Charge Officer	0136	Part of the Ward No.0136 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-I, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations'
10	VICE PRINCIPAL, GOVT. CO-ED SR. SEC. SCHOOL, POCHANPUR, DELHI	Additional Charge Officer	0136	Part of the Ward No.0136 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
11	VICE PRINCIPAL, GOVT. BOYS SR. SEC. SCHOOL, RAJOKRI, DELHI	Additional Charge Officer	0143	Part of the Ward No.0143 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
12	VICE PRINCIPAL, GOVT. GIRLS SEC. SCHOOL, MOLAR BAND-3, NEW DELHI	Additional Charge Officer	0201	Part of the Ward No.0201 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
13	PRINCIPAL, RSBV NO.1, SHAKAR PUR, DELHI	Additional Charge Officer	0223	Part of the Ward No.0223 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For Phase-II, 'Population Enumeration'
B.	New Delhi Municipal Council				

1	G.K. RAO, ARCHITECT, 11TH FLOOR, ROOM NO.1113, PALIKA KENDRA, NEW DELHI 110001	Additional Charge Officer	0009	Part of the Ward No.0009 as assigned to the Charge Officer of the same Ward and published in the Extra Ordinary Delhi Gazette No.F.5/1/09/Plg/Census/DES/2575	For both the Phases, i.e., 'House listing & Housing Census and NPR Operations' and 'Population Enumeration'
---	---	---------------------------------	------	---	---

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. TOCHHONG Pr. Secy. (Planning)

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

फा. सं. 30(70)/एमटीसी/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2009-10/25836-865.—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण
एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 15 की उप-धारा (1) तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2009
के नियम 3(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
लिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों
के निर्वहन के लिये निम्नलिखित अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन करते हैं। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

क्र०सं०	अपीलीय न्यायाधिकरण	जिला
1.	1. उपायुक्त (पश्चिम) 2. श्री अनिल कुमार गुप्ता बी-17 भूतल, नव रचना अपार्टमेंट, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32. 3. सुश्री लक्ष्मी कृष्णन् 5002, अशोका इन्क्लेव, प्लाट नं० ८ए, सैकटर-11, द्वारका, नई दिल्ली-75.	पश्चिम
2.	1. उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) 2. श्री अनिल कुमार गुप्ता बी-17 भूतल, नव रचना अपार्टमेंट, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32. 3. सुश्री लक्ष्मी कृष्णन् 5002, अशोका इन्क्लेव, प्लाट नं० ८ए, सैकटर-11, द्वारका, नई दिल्ली-75	उत्तर पश्चिम
3.	1. उपायुक्त (दक्षिण) 2. श्री अनिल कुमार गुप्ता बी-17 भूतल, नव रचना अपार्टमेंट, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32. 3. सुश्री लक्ष्मी कृष्णन्	दक्षिण

	5002, अशोका इन्वलेव, प्लाट नं 8ए, सैक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-75	
4.	1. उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) 2. श्री अनिल कुमार गुप्ता बी-17 भूतल, नव रचना अपार्टमेंट, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32. 3. सुश्री लक्ष्मी कृष्णन 5002, अशोका इन्वलेव, प्लाट नं 8ए, सैक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-75	दक्षिण पश्चिम
5.	1. उपायुक्त (मध्य) 2. डा० विपिन बिहारी पाण्डे 10ईएसी / 16ए, राजपुर रोड़ दिल्ली सरकार अधिकारी पलैट्स, दिल्ली-54. 3. सुश्री मालश्री मलिक 401, एयरलाईन अपार्टमेंट, प्लाट नं05, सैक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-75.	मध्य
6	1. उपायुक्त (नई दिल्ली) 2. डा० विपिन बिहारी पाण्डे 10ईएसी / 16ए, राजपुर रोड़ दिल्ली सरकार अधिकारी पलैट्स, दिल्ली-54. 3. सुश्री मालश्री मलिक 401, एयरलाईन अपार्टमेंट, प्लाट नं05, सैक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-75.	नई दिल्ली
7.	1. उपायुक्त (उत्तर) 2. डा० विपिन बिहारी पाण्डे 10ईएसी / 16ए, राजपुर रोड़ दिल्ली सरकार अधिकारी पलैट्स, दिल्ली-54. 3. सुश्री मालश्री मलिक 401, एयरलाईन अपार्टमेंट, प्लाट नं05, सैक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-75.	उत्तर
8.	1. उपायुक्त (पूर्व) 2. डा० विपिन बिहारी पाण्डे 10ईएसी / 16ए, राजपुर रोड़ दिल्ली सरकार अधिकारी पलैट्स, दिल्ली-54. 3. सुश्री मालश्री मलिक 401, एयरलाईन अपार्टमेंट, प्लाट नं05, सैक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-75.	पूर्व

9.	1. उपायुक्त (उत्तर पूर्व) 2. डा० विपिन बिहारी पाण्डे 10ईएसी / 16ए. राजपुर रोड दिल्ली सरकारी अधिकारी फ्लैट्स, दिल्ली-54. 3. सुश्री मालश्री मलिक 401, एयरलाइन अपार्टमेंट, प्लाट नं05, सैक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-75.	उत्तर पूर्व
----	---	-------------

2. अपीलीय न्यायाधिकरण संबंधित उपायुक्तों द्वारा संचालित होंगे।
3. अपीलीय न्यायाधिकरण संबंधित जिलों के उपायुक्तों के कार्यालय परिसर में कार्य करेगा।
4. गैर सरकारी सदस्यों की सेवा अवधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इसमें जो भी पहले हो, तक होगी।

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2011

F. No. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/25836-865.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act, 2007 and rule 3(3) of the Delhi Maintenance and Welfare of the parents and Senior Citizens Rules, 2009 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the following Appellate Tribunals for the National Capital Territory of Delhi to exercise the powers and discharge the functions conferred on such Appellate Tribunals in relation to the parents and senior citizens under the Act. The Appellate Tribunals shall consist of the following :—

Sl. No.	Appellate Tribunal	District
1.	1. Dy. Commissioner (West) 2. Sh. Anil Kumar Gupta B- 17, Ground Floor, Nav Rachna Apartment, East Arjun Nagar, Delhi-32 3. Mrs. Lakshmi Krishnan 5002, Ashoka Enclave, Plot No. 8A, Sector-11, Dwarka, New Delhi-75	West
2.	1. Dy. Commissioner (North West) 2. Sh. Anil Kumar Gupta, B- 17, Ground Floor, Nav Rachna Apartment, East Arjun Nagar, Delhi-32 3. Mrs. Lakshmi Krishnan, 5002, Ashoka Enclave, Plot No. 8A, Sector-11, Dwarka, New Delhi-75	North West
3.	1. Dy. Commissioner (South) 2. Sh. Anil Kumar Gupta, B- 17, Ground Floor, Nav Rachna Apartment, East Arjun Nagar, Delhi-32 3. Mrs. Lakshmi Krishnan, 5002, Ashoka Enclave, Plot No. 8A, Sector-11, Dwarka, New Delhi-75	South

536 DS/11-8

4.	<p>1. Dy. Commissioner (South West)</p> <p>2. Sh. Anil Kumar Gupta B-17, Ground Floor, Nav Rachna Apartment, East Arjun Nagar, Delhi-32</p> <p>3. Mrs. Lakshmi Krishnan 5002, Ashoka Enclave, Plot No.8A, Sector-11, Dwarka, New Delhi-75</p>	South West
5.	<p>1. Dy. Commissioner (Central)</p> <p>2. Dr. Vipin Bihari Pandey 10EAC/16A, Rajpur Road Delhi Govt. Officer's Flats Delhi – 54</p> <p>3. Mrs. Malshri Malik 401, Airline Apartment, Plot No.5, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75</p>	Central
6.	<p>1. Dy. Commissioner (New Delhi)</p> <p>2. Dr. Vipin Bihari Pandey 10EAC/16A, Rajpur Road Delhi Govt. Officer's Flats Delhi – 54</p> <p>3. Mrs. Malshri Malik 401, Airline Apartment, Plot No.5, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75</p>	New Delhi
7.	<p>1. Dy. Commissioner (North)</p> <p>2. Dr. Vipin Bihari Pandey 10EAC/16A, Rajpur Road Delhi Govt. Officer's Flats Delhi – 54</p> <p>3. Mrs. Malshri Malik 401, Airline Apartment, Plot No.5, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75</p>	North
8.	<p>1. Dy. Commissioner (East)</p> <p>2. Dr. Vipin Bihari Pandey 10EAC/16A, Rajpur Road Delhi Govt. Officer's Flats Delhi – 54</p> <p>3. Mrs. Malshri Malik 401, Airline Apartment, Plot No.5, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75</p>	East

9.	<p>1. Dy. Commissioner (North East) 2. Dr. Vipin Bihari Pandey 10EAC/16A, Rajpur Road Delhi Govt. Officer's Flats Delhi - 54 3. Mrs. Malshri Malik 401, Airline Apartment, Plot No.5, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75</p>	North East
----	---	------------

2. The Appellate Tribunals shall be presided over by the concerned Deputy Commissioners.
3. The Appellate Tribunals shall function from the premises of the concerned Deputy Commissioners of the respective Districts.
4. The tenure of the Non-Official Members shall be for a period of 3 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

फा. सं. 30(70)/एमटीसी/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2009-10/25867-909.—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उप-धारा (1) तथा दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2009 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या सं. फा. 30 (70) एमटीसी/डी.डी. (एस एस)/डीएसडब्ल्यू/2009-10/12665 दिनांक 30-09-2009 तथा फा. सं. 30 (70) सं. एमटी.सी./डी.डी. (एस एस)/डीएसडब्ल्यू/2009-10/4062-4093 दिनांक 21-5-2010 के अधिक्रमण में, उन कार्यों को छोड़ कर जो इस अधिक्रमण से पहले किये गये थे या किये जाने का संकल्प किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे भरण-पोषण न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित भरण-पोषण न्यायाधिकरण का गठन करते हैं। भरण-पोषण न्यायाधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

क्र.सं.	भरण-पोषण न्यायाधिकरण	जिला	दिन
1.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 2. कर्नल राजेन्द्र कुमार (सेवानिवृत्त), 2/112, सुन्दर विहार, नई दिल्ली-110087 3. श्रीमती प्रेम कौर बेदी, 1688-तीसरा तल, ओट्रमलाईन, किंगजवे कैम्प, दिल्ली-110 009	पश्चिम	मंगलवार व बृहस्पतिवार
2.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर पश्चिम) 2. श्री एन. मरिआप्पन, ए-305, डेफोडिल अपार्टमेंट, प्लाट 36, सैकटर-6, द्वारका, नई दिल्ली-75 3. सुश्री मीनू अरोड़ा, 235, जय अपार्टमेंट, सैकटर-9, रोहिणी, दिल्ली-85	उत्तर पश्चिम	बुधवार व शुक्रवार
3.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) 2. डॉ. श्रीमती कीर्ति सूरी वर्मा, डी-1/6, इंडियन एयरलाइन्स कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली-57 मोबाइल नं.-9810603247	दक्षिण	मंगलवार व बृहस्पतिवार

	3. सुश्री अंजु खन्ना एम-65बी, जी०एफ, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110 017.		
4.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पश्चिम) 2. श्री एम०पी०एस० पुरी डब्ल्यू जैड-519, (गली नं० 27), शिव नगर, पीओ-जनकपुरी, नई दिल्ली-58. 3. सुश्री वंदना शर्मा ए-202, गली नं० 5, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-92.	दक्षिण पश्चिम	बुधवार व शुक्रवार
5.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) 2. सुश्री प्रमोद सचदेवा, 21-डी, एमआईजी प्लैट्स, जे-ब्लाक, फेज-1, अशोक विहार, दिल्ली. 3. श्री एन०एन० दीवान 155, साउथ पार्क अपार्टमेंट, कालकाजी, बी-ब्लाक, नई दिल्ली-19	मध्य	मंगलवार व बृहस्पतिवार
6.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नई दिल्ली) 2. श्री महेश चन्द्रा क्वार्टर नं० 85, टाइप-V, सैकटर-3, सांदेक नगर, नई दिल्ली-49. 3. सुश्री शमा परवीन नकवी ए-7, एफ / एफ जौहरी फार्म, एम. नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-19.	नई दिल्ली	सोमवार व बुधवार
7.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) 2. श्री बी० रामारवामी 118 सी, पॉकेट-एफ, पीए-2, एम- विहार, दिल्ली-91. 3. सुश्री अमिता जोशी 32, कुरमांचल निकेतन, 45, आई०पी० एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली.	उत्तर	बुधवार व शुक्रवार
8.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) 2. श्री सुखबीर चन्द, बी-1/225, यमुना विहार, दिल्ली-53. 3. सुश्री जयन्ती होता एस-52, हुड़को पैलेस, एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली-49.	पूर्व	बुधवार व शुक्रवार
9.	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर पूर्व) 2. सुश्री सरला कौशिक प्लाट नं० 11, रेजीडेंशल कॉम्प्लैक्स, बीआर अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली.	उत्तर पूर्व	मंगलवार व बृहस्पतिवार

	3. अमिता जोशी 32. कुरमांचल निकेतन, 45, आई०पी० एक्सटेशन, पटपटगंज, दिल्ली.		
--	--	--	--

2. भरण-पोषण न्यायाधिकरण संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होंगे।
3. भरण-पोषण न्यायाधिकरण संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय परिसर में कार्य करेगा।
4. गैर सरकारी सदस्यों की सेवा अवधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो, तक होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. पी. दीक्षित, निदेशक (समाज कल्याण)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2011

No. F. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/25867-909.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act, 2007 and rule 3 of the Delhi Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Rules, 2009 and in supersession of earlier notifications number F. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/12665 dated 30-9-2009 and F. 30(70)/MTC/DD(SS)/DSW/2009-10/4062-4093, dated 21-5-2010 except as respects things done or committed to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the following maintenance Tribunals for the National Capital Territory of Delhi to exercise the powers and discharge the functions conferred on such Maintenance Tribunals in relation to the parents and senior citizens under the Act. The Maintenance Tribunals shall consist of the following :—

Sl. No.	Maintenance Tribunal	District	Days
1	1. Additional District Magistrate (West) 2. Col Rajendra Kumar (Retd.) 2/112, Sunder Vihar, New Delhi-110087. 3. Mrs. Prem Kaur Bedi 1688, IIIrd Floor, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-9	West	Tuesday & Thursday
2	1. Additional District Magistrate (North West) 2. Sh. N. Mariappan A-305, Daffodils Apartments Plot 36, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075. 3. Mrs. Meenu Arora, 235, Jai Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85	North West	Wednesday & Friday
3	1. Additional District Magistrate (South) 2. Dr. Mrs. Kirti Suri Verma D-1/6 Indian Airlines Colony Vasant Vihar, New Delhi – 110057 3. Anju Khanna, M-65B, G.F. Malviya Nagar New Delhi – 110017	South	Tuesday & Thursday

536/85/11-9

4	1. Additional District Magistrate (South West) 2. Sh. M/P.S. Puri WZ-519 (Gali No.27), Shiv Nagar, PO-Janak Puri, New Delhi – 110058 . 3. Mrs. Vandana Sharma, A-202, Gali No.5, West Vinod Nagar, Delhi – 110092	South West	Wednesday & Friday
5	1. Additional District Magistrate(Central) 2. Mrs. Pramod Sachdeva, 21-D, MIG Flats, J Block, Phase 1, Ashok Vihar, Delhi 3. Sh. N.N.Dewan, 155, South Park Apts. Kalkaji 'B' Block,, New Delhi-19	Central	Tuesday & Thursday
6	1. Additional District Magistrate(New Delhi) 2. Sh. Mahesh Chandra, Qr.No.85, Type-V, Sector-3, Sadiq Nagar, New Delhi-110 049. 3. Ms. Shama Parveen Naqvi A-7, F/F Johri Farm, M. Nagar Extn. Jamia Nagar, New Delhi-19	New Delhi	Monday & Wednesday
7	1. Additional District Magistrate(North) 2. Shri B. Ramaswamy 118C, Pocket-F, PA-2, M. Vihar, Delhi-110 091. 3. Amita Joshi, 32, Kurmangal Niketan, 45, I.P. Exten., Patparganj, Delhi.	North	Wednesday & Friday
8	1. Additional District Magistrate(East) 2. Sh. Sukhbir Chand, B-1/225, Yamuna Vihar, Delhi-53 3. Ms Jayanti Hota S-52, HUDCO Place, Andrews Ganj, New Delhi – 110049	East	Wednesday & Friday
9	1. Additional District Magistrate(North East) 2. Ms Sarla Kaushik Flat No.11, Residential Complex, BR Ambedkar Hospital Rohini, Delhi 3. Amita Joshi, 32, Kurmangal Niketan, 45, I.P. Exten., Patparganj, Delhi.	North East	Tuesday & Thursday

2. The Tribunals shall be presided over by the concerned Additional District Magistrates.
3. The Tribunals shall function from the premises of the concerned Additional District Magistrates of the respective Districts.
4. The tenure of the Non-Official Members shall be for a period of 3 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. P. DIXIT, Director (Social Welfare)

